



Neutral Citation No. - 2026:AHC:23773

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3733/2026

योगेश बघेल उर्फ योगी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : वेद प्रकाश पांडेय

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य चार सह-अभियुक्तों के साथ दर्ज है। पीड़िता ने स्वयं यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि विवाह का झूठा आश्वासन देकर आवेदक ने उसके साथ तीन वर्षों तक शारीरिक संबंध स्थापित किए और अब उसने उससे विवाह करने से इंकार कर दिया है। यह भी आरोप है कि इन संबंधों के कारण वह दो बार गर्भवती हुई, किन्तु आवेदक ने उसे कुछ दवाइयाँ देकर उसका गर्भपात करा दिया। साथ ही यह भी आरोप है कि अब आवेदक उसे उक्त घटना के वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में

अभियोजन के कथन का समर्थन किया है। पीड़िता के अनुसार वह लगभग 26 वर्ष की

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बालिग महिला है। अभियोजन के संपूर्ण कथन से प्रतीत होता है कि पीड़िता आवेदक के साथ संबंध में थी और उनके बीच जो भी शारीरिक संबंध स्थापित हुए, वे आपसी सहमति से हुए थे, क्योंकि वे लगभग तीन वर्षों से संबंध में थे तथा इस संबंध में पूर्व में पीड़िता द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। अतः यह प्रतीत होता है कि आवेदक को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य एवं निहित स्वार्थ के कारण झूठे एवं निराधार आरोपों में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की असत्यता दर्शाने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वे परिस्थितियां भी बताई गईं, जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फंसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यक होगा न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा लगाए जाने वाले सभी शर्तों का पालन करने को तैयार है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक दिनांक 10.11.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

3. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि विचारण के पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की राहत का अधिकारी नहीं है।
4. समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति तथा अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह जमानत प्रदान करने हेतु उपयुक्त मामला है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
5. अतः आवेदक—योगेश बघेल उर्फ योगी को मुकदमा अपराध संख्या 695/2025, धारा 64(2), 89, 351(2), 352 बी.एन.एस., थाना जगदीशपुरा, जनपद आगरा में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या प्रताड़ित नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उसी प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह आरोपित है या जिसके करने का संदेह है।
 - v) आवेदक किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्यों का खुलासा करने से विरत हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो।
6. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"